संघ लोक सेवा आयोग आदि

बनाम

अंगेश कुमार एवं अन्य

फ़रवरी 20, 2018

[न्यायमूर्तिगण आदर्श कुमार गोयल और उदय उमेश ललित]

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 -

धारा 3, 6, 8, 9 और 11 - संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका - सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के असफल उम्मीदवारों द्वारा दायर - अंकों (कच्चे एवं स्केल्ड) के विवरण का खुलासा करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को निर्देश देने की मांग उन्हें परीक्षा में प्रदान किया गया - साथ ही प्रत्येक विषय के लिए कट-ऑफ अंक, स्केलिंग पद्धति, मॉडल उत्तर और सभी उम्मीदवारों के पूर्ण परिणाम के रूप में जानकारी मांगी गई - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने यूपीएससी को मांगी गई जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया - खण्ड पीठ द्वारा एकल न्यायाधीश का दृष्टिकोण की पुष्टि की गयी - अपील पर, प्रतिपादित किया गया: एक ओर पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता और दूसरी ओर राजकोषीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह देखा जाना चाहिए कि सिविल सेवा परीक्षा में अंकों के संबंध में मांगी गई जानकारी को यंत्रवत् प्रस्तुत करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है - कच्चे अंक प्रस्तुत करने से समस्याएँ पैदा होंगी, जो सार्वजनिक हित में नहीं होगा - हालाँकि, यदि कोई मामला बनता है जहाँ न्यायालय पाता है कि यह सार्वजनिक हित है जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, न्यायालय निश्चित रूप से किसी दिए गए तथ्य की स्थिति में ऐसा करने का हकदार है - यदि नियमों या अभ्यास की आवश्यकता होती है, तो निश्चित रूप से ऐसे नियम या अभ्यास को मजबूर किया जा सकता है - वर्तमान मामले में, इन मापदंडों पर विचार किए बिना निर्देश जारी किया गया है - अपीलों और विशेष अनुमति याचिकाओं का निस्तारण किया जाता है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम आदित्य बंदोपाध्याय और अन्य (2011) 8 एससीसी 497:[2011] 11 एससीआर 1028; प्रशांत रमेश चक्करवार बनाम यूपीएससी (2013) 12 एससीसी 489 - पर भरोसा किया गया।

संजय सिंह बनाम यूपी लोक सेवा आयोग (2007)3 एससीसी 720: [2007] 1 एससीआर 235; यू.पी. लोक सेवा आयोग बनाम सुभाष चंद्र दीक्षित (2003) 12 एससीसी701: [2003] 5 सप्ल एससीआर 210 - संदर्भित।

केस लॉ संदर्भ - [2011] 11 एससीआर 1028 - पर भरोसा - पैरा 6; (2013) 12 एससीसी 489 - पैरा 8 पर निर्भर; [2007] 1 एससीआर 235 - संदर्भित - पैरा 9; [2003] 5 सप्ल एससीआर 210 - संदर्भित - पैरा 9

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2013 की सिविल अपील संख्या 6159-6162।

एलपीए संख्या 229/2011 में डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 3316/2011 और समीक्षा याचिका संख्या 486/2012 में एल.पी.ए संख्या 229/ में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 13.07.2012 और 28.08.2012 से 2011 और समीक्षा याचिका संख्या 484 क्रमशः डब्ल्यू.पी. (सी) में डब्ल्यू.पी. © संख्या 3316/2011

साथ

2013 का सीए संख्या 5924, 2014 का एस.एल.पी. (सी) संख्या 28817, 28801, 28811, 28816,28805 और 2018 का एस.एल.पी. (सी) संख्या... (@2017 का डायरी संख्या 15951)।

तुषार मेहता, एएसजी, नरेश कौशिक, सुश्री बीनू टम्टा, ध्रुव टम्टा, वर्धमान कौशिक, ओमंग राज गुप्ता, करण डी बघेल, देविक सिंह, मनोज जोशी, सुश्री ललिता कौशिक, कुमार शशांक, अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्तागण।

व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता।

पिंकी आनंद, एएसजी, एम.के. मरोरिया, सुश्री माधवी दीवान, सुश्री सौदामिनी शर्मा, सुश्री रुक्मिणी बोबडे, रंजीत बी मरार, लक्ष्मी एन रायमल, विष्णु पी, अनुभव आनंद पांडे, सुश्री कीर्ति दुआ, सुमित कुमार अभिषेक चक्रवर्ती, हेमंत कुमार, नितिन सिंह, संजय यादव, विक्रांत सिंह बैस, गैचांगपौ गंगमेई, अर्जुन डी. सिंह, एस.के. वर्मा, रामेश्वर प्रसाद गोयल, मुनव्वर नसीम, विक्रांत सिंह बैस, पंकज कुमार, जगदीश कुमार चावला, गौरव अग्रवाल, यश पाल सिंह ढींगरा, उत्तरदाताओं के अधिवक्तागण।

राजेश तिवारी (व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाता)।

कैविएटर-इन-पर्सन।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया:

2013 की सिविल अपील संख्या 6159-6162:

1. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

2. ये अपीलें 2011 के एलपीए संख्या 229 में 13.7.2012 के निर्णय और आदेश, 2011 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 3316 में, 28.08.2012 को एलपीए संख्या 229/2011 में 2012 की समीक्षा याचिका संख्या 486 और समीक्षा याचिका डब्ल्यू पी(C) संख्या 3316/2011 में 2012 की संख्या 484 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली की के विरुद्ध दायर की गई हैं। ।

3. उत्तरदाता-रिट याचिकाकर्ता सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2010 में असफल उम्मीदवार थे। उन्होंने दिए गए अंकों (कच्चे और स्केल किए गए) के विवरण का खुलासा करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि उन्हें उनसे सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2010 में प्राप्त अंकों का विवरण दिया जाये सभी अभ्यर्थियों के प्रत्येक विषय के लिए कट-ऑफ अंक, स्केलिंग पद्धति, मॉडल उत्तर और पूर्ण परिणाम की जानकारी भी मांगी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि मांगी गई जानकारी पंद्रह दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाए। एकल न्यायाधीश के उक्त दृष्टिकोण की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पुष्टि की है।

4. इन अपीलों के समर्थन में मुख्य तर्क यह है कि उच्च न्यायालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) की योजना और इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्णयों की सही ढंग से परिशीलन नहीं की है।

5. यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि अधिनियम की धारा 3 और 6 सूचना का अधिकार (धारा 4 के अंतर्गत निर्दिष्ट जानकारी प्रदान करने के वैधानिक दायित्व के अलावा) प्रदान करती है, धारा 8, 9 और 11 उसमें निर्धारित जानकारी देने से छूट प्रदान करती है। धारा 8, 9 और 11 द्वारा बहिष्करण संपूर्ण नहीं है और अधिनियम की प्रस्तावना के तीसरे पाठ के अंतर्गत मापदंडों को भी ध्यान में रखा जा सकता है। जहां जानकारी सरकार के कुशल संचालन, राजकोषीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग और कुछ संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता के संरक्षण सहित अन्य सार्वजनिक हित के साथ टकराव की संभावना है, किसी दिए गए तथ्य की स्थिति में अधिकार या जानकारी का बहिष्कार प्रयोज्य किया जा सकता है।

6. इस प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम आदित्य बंदोपाध्याय और अन्य, (2011) 8 एससीसी 497 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने कहा था:

"61. कुछ उच्च न्यायालयों ने माना है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8, धारा 3 के अपवाद की प्रकृति में है जो नागरिकों को सूचना के अधिकार का अधिकार देती है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से व्युत्पन्न है; और इसलिए, धारा 8 को दृढ़ता से, शाब्दिक और संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए। यह सही दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। यह अधिनियम दो परस्पर विरोधी हितों के बीच संतुलन लाने का प्रयास करता है, क्योंकि लोकतंत्र के संरक्षण के लिए उनके बीच सामंजस्य आवश्यक है। पहला, सार्वजनिक प्राधिकारियों के नियंत्रण में सूचना तक पहुंच प्रदान करके पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। दूसरा यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक व्यवहार में जानकारी का खुलासा, अन्य सार्वजनिक हितों के साथ टकराव न हो, जिसमें सरकारों का कुशल संचालन, सीमित वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता का संरक्षण शामिल है। अधिनियम की प्रस्तावना में विशेष रूप से कहा गया है कि अधिनियम का उद्देश्य इन दो परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करना है। जबकि धारा 3 और 4 पहले उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, धारा 8, 9, 10 और 11 दूसरे उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए, जब धारा 8 किसी सूचना को प्रकट करने से छूट देती है, तो इसे सूचना के अधिकार पर एक बंधन नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि लोकतांत्रिक आदर्शों की पूर्ति और संरक्षण के लिए आवश्यक अन्य सार्वजनिक हितों की रक्षा करने वाला एक समान रूप से महत्वपूर्ण प्रावधान माना जाना चाहिए।

62. यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते समय कि सूचना का अधिकार कई अन्य सार्वजनिक हितों (जिसमें सरकारों का कुशल संचालन, संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता का संरक्षण, सीमित वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग आदि शामिल है) के साथ टकराव न हो, यह मुश्किल है उन सभी प्रकार की सूचनाओं की कल्पना और गणना करें जिन्हें सार्वजनिक हित में प्रकटीकरण से छूट दी जानी चाहिए। हालाँकि विधायिका ने ऐसा करने का प्रयास किया है। छूटों की गणना पिछले अधिनियम, यानी सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 की धारा 8 में की गई छूटों की गणना की तुलना में अधिक विस्तृत है। आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों को प्रयोज्य करने वाले न्यायालयों और सूचना आयोगों को एक उद्देश्यपूर्ण निर्माण को अपनाना होगा , जिसमें एक उचित और संतुलित दृष्टिकोण शामिल है जो धारा 8 और अधिनियम के अन्य प्रावधानों की व्याख्या करते समय अधिनियम की दो वस्तुओं में सामंजस्य स्थापित करता है।

66. सूचना का अधिकार एक पोषित अधिकार है। सूचना और सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार से लड़ने और पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए जिम्मेदार नागरिकों के हाथों में शक्तिशाली उपकरण बनने

का आशय रखता है। आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों को दृढ़ता से प्रयोज्य किया जाना चाहिए और अधिनियम की धारा 4 (1) के खंड (बी) के अंतर्गत आवश्यक जानकारी को प्रकाश में लाने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए जो सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार को हतोत्साहित करने में से संबंधित है। लेकिन अन्य जानकारी के संबंध में [अर्थात, अधिनियम की धारा 4(1)(बी) और (सी) में उल्लिखित जानकारी के अलावा अन्य जानकारी], अन्य सार्वजनिक हितों (जैसे संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता) निष्ठा और प्रत्ययी रिश्ते, सरकारों का कुशल संचालन, आदि) को समान महत्व और जोर दिया जाता है।

67. आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सभी और विविध सूचनाओं (सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही और भ्रष्टाचार के उन्मूलन से असंबंधित) के प्रकटीकरण के लिए अंधाधुंध और अव्यवहारिक मांग या निर्देश अनुत्पादक होंगे क्योंकि यह प्रशासन की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। और परिणामस्वरूप कार्यपालिका जानकारी एकत्र करने और प्रस्तुत करने के गैर-उत्पादक कार्य में फंस जाती है। अधिनियम को राष्ट्रीय विकास और एकीकरण में बाधा डालने या अपने नागरिकों के बीच शांति, शांति और सद्भाव को नष्ट करने का एक उपकरण बनने या दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और न ही इसे अपना कर्तव्य निभाने का प्रयास कर रहे ईमानदार अधिकारियों पर अत्याचार या डराने-धमकाने का एक उपकरण बनाया जाना चाहिए। राष्ट्र ऐसा परिदृश्य नहीं चाहता जहां सार्वजनिक प्राधिकरणों के 75% कर्मचारी नियमित कर्तव्यों का निर्वहन करने के बजाय आवेदकों को जानकारी एकत्र करने और प्रस्तुत करने में अपना 75% समय व्यतीत करते हैं। आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत दंड की धमकी और आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अधिकारियों के दबाव के कारण सार्वजनिक प्राधिकरणों के कर्मचारियों को अपने सामान्य और नियमित कर्तव्यों की कीमत पर "सूचना प्रस्तुत करने" को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए।'' (जोर दिया गया)।

7. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की योजना की व्याख्या में, इस न्यायालय ने उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को अपनाते हुए, अधिनियम की प्रस्तावना में तीसरे पाठ के आधार पर धारा 3 और 6 में अंतर्निहित सीमा को पढ़ा है। सूचना के अधिकार को संतुलित करते समय, सरकार के कुशल कामकाज सहित सार्वजनिक हित, वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता का संरक्षण संतुलित किया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एक मार्गदर्शक कारक हो सकता है डी-हॉर्स धारा 8, 9 और 11। उच्च न्यायालय ने उक्त मापदंडों को प्रयोज्य नहीं किया है।

8. यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने में आने वाली समस्याएं प्रशांत रमेश चक्करवार बनाम यूपीएससी में दर्ज हैं। उक्त मामले में जवाबी शपथपत्र से निम्नलिखित उद्धरण का उल्लेख किया गया था:

“(बी) उम्मीदवारों को मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने में समस्याएं।—(i) अंतिम पुरस्कार मूल्यांकन के पहले चरणों को शामिल करते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं का खुलासा करने से मध्यवर्ती चरणों का भी पता चल जाएगा, जिसमें तथाकथित 'कच्चे अंक' भी शामिल होंगे, जिसका परीक्षा प्रणाली की अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि नीचे अनुभाग (सी) में बताया गया है।

(ii) मूल्यांकन प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। एक परीक्षक द्वारा शुरू में दिए गए पुरस्कारों को हटाया जा सकता है और संशोधित किया जा सकता है क्योंकि (ए) गिनती की गलतियाँ, भागों का मूल्यांकन नहीं किया जाना, अतिरिक्त प्रयास (निर्धारित संख्या से अधिक) को बाद में लिपिकीय जांच के परिणामस्वरूप ठीक किया जाना, (बी) परीक्षक द्वारा अपने स्वयं के मूल्यांकन के दौरान पुरस्कार बदलना या तो क्योंकि उसने शुरुआत में किसी अनजाने में हुई त्रुटि के कारण इसे अलग तरह से चिह्नित किया था या

क्योंकि उसने प्रधान परीक्षक/सहयोगी परीक्षकों के साथ चर्चा के बाद स्वीकृत मानकों के अनुरूप होने के लिए खुद को सही किया था, (सी) पूर्व परीक्षक के काम की जांच के दौरान मुख्य परीक्षक द्वारा अतिरिक्त परीक्षक के प्रारंभिक पुरस्कारों को संशोधित किया जा रहा है, (डी) अतिरिक्त परीक्षक के काम को मुख्य परीक्षक द्वारा अनियमित पाया गया है, मुख्य परीक्षक के साथ या उसके बिना, किसी अन्य परीक्षक द्वारा पूरी तरह से दोबारा जांच की गई है इस कार्य की दोबारा जांच की जा रही है।

(iii) उत्तर पुस्तिका में किए गए सुधार से उम्मीदवार के मन में संदेह और शायद संदेह भी पैदा हो सकता है। जहां इस तरह के सुधारों से पहले के पुरस्कारों में कमी आती है, इससे न केवल अभ्यावेदन/शिकायतें बढ़ेंगी, बल्कि मुकदमेबाजी भी बढ़ने की संभावना है। उच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश पर अब तक एकमात्र मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका जो एक अभ्यर्थी को दिखाई गई है (गौरव गुप्ता बनाम यूपीएससी दिनांक 6.7.2012 (डेल) में श्री गौरव गुप्ता, डब्ल्यू पी संख्या 3683 of 2012) और वह भी, नकाबपोश सौंपे गए निशानों के साथ; फिर भी उम्मीदवार ने अनुचित मूल्यांकन का आरोप लगाते हुए एक नया डब्ल्यू पी दायर किया है।

(iv) चूंकि सापेक्ष योग्यता और पूर्ण योग्यता नहीं यहां मानदंड है (शैक्षणिक परीक्षाओं के विपरीत), किसी विशेष उत्तर स्क्रिप्ट को अलग से देखने पर प्रारंभिक अंकों/संशोधन को कठोर माना जा सकता है, बिना इस बात की परिशीलन किए कि समान मानक हैं क्षेत्र के अन्य सभी लोगों पर प्रयोज्य। इसकी परिशीलन न करने से प्रणाली में विश्वास और विश्वसनीयता का क्षरण होगा और मुकदमेबाजी सहित प्रणाली की अखंडता के लिए चुनौतियाँ पैदा होंगी।

(v) मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के खुलासे के साथ, कोचिंग संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों से इनकी प्रतियां एकत्र करने का खतरा (शायद उन्हें आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियों के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित/प्रेरित करने के बाद) इसके सभी संबंधित निहितार्थों के साथ वास्तविक है।

(vi) अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं के प्रकटीकरण के साथ, यह संभावना है कि कम से कम कुछ संबंधित परीक्षकों को भी इन तक पहुंच मिल जाएगी। उनके प्रारंभिक पुरस्कारों पर उनकी नाराजगी संभव है (जिसे वे शायद काल्पनिक कोड संख्याओं और/या उनके द्वारा पहचान लेंगे) अंकन, विशेष रूप से कम-उम्मीदवारी वाले विषयों के लिए) को हटा दिया गया है (या तो अंतर-परीक्षक या अंतर-विषय मॉडरेशन के कारण) एक ओर अतिरिक्त परीक्षकों और मुख्य परीक्षक के बीच, और दूसरी ओर परीक्षकों और आयोग के बीच मतभेद पैदा होगा। उदाहरण के लिए, प्रधान परीक्षक जिस स्वतंत्र और स्पष्ट तरीके से अपने सहयोगी अतिरिक्त परीक्षकों के काम की समीक्षा करते हैं, उस पर असर पड़ने की संभावना है। मूल्यांकन मानकों की गुणवत्ता प्रभावित होगी।

(vii) कुछ वैकल्पिक पेपरों में बहुत कम उम्मीदवारी होती है (कभी-कभी केवल एक ही), विशेषकर साहित्य पेपर में। भले ही सभी परीक्षकों के शुरुआती अक्षरों को छिपा दिया गया हो (जो तार्किक रूप से भी कठिन है, क्योंकि प्रत्येक उत्तर पुस्तिका में कई पृष्ठ होते हैं, और परीक्षक अक्सर संशोधन/सुधार के साथ कई पृष्ठों पर अपने प्रारंभिक अक्षर और टिप्पणियाँ दर्ज करते हैं, जहां किया जाता है, जिससे समस्या का आकार बढ़ जाता है) , जिस तरह से अंक दिए जाते हैं वह परीक्षक की पहचान उजागर करने में मददगार साबित हो सकता है। यदि किसी भी स्तर पर मास्किंग में गड़बड़ी होती है, तो परीक्षक की पहचान बेरहमी से उजागर हो जाती है। इनमें से कुछ कम-उम्मीदवार पत्रों में उम्मीदवारों और परीक्षकों का 'कैचमेंट एरिया' सीमित माना जाता है। इतनी उच्च जोखिम वाली परीक्षा में परीक्षक की पहचान उजागर होने की किसी भी संभावना का परीक्षा प्रणाली की अखंडता और निष्पक्षता और परीक्षक की सुरक्षा दोनों पर गंभीर प्रभाव

पड़ेगा। मामला इस तथ्य से जटिल है कि हमने पहले भी विभिन्न संदर्भों में सार्वजनिक रूप से कहा है कि पेपर-सेटर भी आम तौर पर मुख्य परीक्षक होता है।

(viii) यूपीएससी अब देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों और विद्वानों को अपने मूल्यांकन कार्य में शामिल करने में सक्षम है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण निस्संदेह उनकी गुमनामी का आश्वासन है, जिसके लिए आयोग काफी प्रयास करता है। एक बार जब उत्तर पुस्तिकाओं का खुलासा शुरू हो जाता है और निराश उम्मीदवारों से अपरिहार्य चुनौतियाँ (मुकदमेबाजी सहित) शुरू हो जाती हैं, तो यह केवल समय की बात है कि इन परीक्षकों को अपने मूल्यांकन/पुरस्कार के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया जाएगा, वे आयोग से आगे के असाइनमेंट स्वीकार करने से इनकार कर देंगे। इसका परिणाम यह होगा कि जो परीक्षक इस असाइनमेंट को स्वीकार करते हैं, वे अपने अंकन में सुरक्षित खेलने के लिए अत्यधिक प्रलोभित होंगे, न तो उत्कृष्ट अंक देंगे और न ही बहुत कम अंक देंगे, भले ही वे योग्य हों। सामान्यता सर्वोच्च होगी और न केवल प्रतिष्ठा, बल्कि सिस्टम की अखंडता से स्पष्ट रूप से समझौता किया जाएगा।"

9. इसके बाद इस न्यायालय ने संजय सिंह बनाम यूपी लोक सेवा आयोग, (2007) 3 एससीसी 720 और यूपी लोक सेवा आयोग बनाम सुभाष चंद्र दीक्षित, (2003) 12 एससीसी 701 में पहले के निर्णय पर भरोसा करते हुए यूपीएससी द्वारा अपनाई गई मॉडरेशन की पद्धति को मंजूरी दे दी।

10. एक ओर पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता और दूसरी ओर वित्तीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि सिविल सेवा परीक्षा में अंकों के संबंध में मांगी गई जानकारी को यंत्रवत् निर्देशित नहीं किया जा सकता है। अन्य शैक्षणिक निकायों की परीक्षाओं की स्थिति अलग-अलग स्तर पर हो सकती है। जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, कच्चे अंक प्रस्तुत करने से समस्याएं पैदा होंगी, जैसा कि यूपीएससी ने कहा है, जो सार्वजनिक हित में नहीं होगा। हालाँकि, यदि कोई ऐसा मामला बनता है जहाँ न्यायालय को पता चलता है कि सार्वजनिक हित के लिए जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, तो न्यायालय निश्चित रूप से किसी दिए गए तथ्य की स्थिति में ऐसा करने का हकदार है। यदि नियमों या प्रथा की आवश्यकता होती है, तो निश्चित रूप से ऐसे नियम या प्रथा को प्रयोज्य किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, इन मापदंडों पर विचार किए बिना निर्देश जारी किया गया है।

11. उपरोक्त के मद्देनजर, आक्षेपित आदेश(आदेशों) को अपास्त किया जाता है और रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं। यह आदेश उत्तरदाताओं को उपरोक्त मापदंडों पर मामला बनाने और यदि सलाह दी गई हो तो उचित मंच पर जाने से नहीं रोकेगा।

12. अपीलों का तदनुसार किया जाता है।

2013 की सिविल अपील संख्या 5924:

1. 2013 की सिविल अपील संख्या 6159-6162 में आज दिए गए निर्णय के मद्देनजर, विवादित आदेश को अपास्त कर दिया गया है। अपील का उन्हीं शर्तों पर किया जाता है।

एसएलपी(सी) संख्या 28817/2014, एसएलपी(सी) संख्या 28801/2014, एसएलपी(सी) संख्या 28811/2014 एसएलपी(सी) संख्या 28816/2014, एसएलपी(सी) संख्या 28805/2014, एसएलपी(सी) संख्या। 2018 का ..... (डायरी संख्या 15951/2017 से उत्पन्न) :

1. विलम्ब क्षमा किया गया।

2. 2013 की सिविल अपील संख्या 6159-6162 में दिए गए निर्णय के मद्देनजर, इन विशेष अनुमति याचिकाओं का निस्तारण उन्हीं शर्तों के अंतर्गत किया जाता है।

कल्पना के.त्रिपाठी मामलों का निस्तारण किया गया।

Name of Judicial Officer - RAM MURTI YADAV, ADDITIONAL DISTRICT JUDGE, AZAMGARH (RETIRED)